Seema Kumari (RMC, VKSU.)
15.06.2021
BA(1) Subsidiary

Sovereignty (संप्रभुता)

राज्य अपने कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। राज्य का स्थान चूंकि समाज की अन्य सब संस्थाओं से ऊंचा है और उसकी सत्ता शेष सारे समाज में सर्वोच्च है, इसलिए राज्य को नागरिकों की अनन्य निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए।

आस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना

जॉन आस्टिन द्वारा किए गए विश्लेषण एवं उनके सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च शक्ति निश्चयात्मक, स्वेच्छाचारी, असीमित, अविभाज्य, सर्वव्यापक और स्थायी है। अपने पेशे (वकील) के अनुसार इसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या में कानूनी वैधानिक दृष्टिकोण को ही सर्वोपरि माना। सर हेनरी मेन, ग्राहम, ब्लण्टशली और जेम्स स्टीफेन आदि ने आस्टिन के वैधानिक सिद्धांत की आलोचना की है जो निम्न है -

1. समाज में आस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन है।-
2. कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता। कौटिल्य के अनुसार धर्म, औचित्य या न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम व प्रथाएं, तथा राजा के आदेश कानून के स्रोत

Scanned with CamScanner

होते हैं राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन ही होता है।

3. शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन शक्ति के आधार पर करवाता है।

4. आधुनिक लोकतंत्र राज्यों पर लागू नहीं होता। आस्टिन के विचार की कानूनी संप्रभुता को मानने से हमे लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दोनों ही प्रकार की प्रभुताओं की सत्ता अस्वीकार करनी होगी।

5. संप्रभुता अविभाज्य, असीमित नहीं है। राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों में सीमित है।

आस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का महत्व

इस सिद्धांत के विवेचन से संप्रभुता के लौकिक और राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता निश्चितता में ढल जाती है। आस्टिन हाब्स और बेंथम के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था और उसका विचार था कि 'उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है' आस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का यही सार है।

=